दिनांक–11.05.2016 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

6

उपस्थिति:–संलग्न सूची के अनुसार।

कार्यवाही:–

सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा विधिवत एजेंडा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। साथ ही प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य करने का निदेश दिया गया ताकि समाज के अंतिम वर्गों तक सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।

1. **रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/प्रोन्नति:–**

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिया जाना है उनकी चारित्रिक अभ्युक्ति, सेवा इतिहास एवं अन्य आवश्यक कागजातों को भलीभांति जांच कर दस दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिन कर्मियों की चारित्रिक अभ्युक्ति के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ नहीं मिल पाया हैं उनका सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के आलोक में विशेष चारित्रिक अभ्युक्ति वर्तमान पदाधिकारी द्वारा लिखने की कारवाई की जाय ।

2. **सेवांत लाभ:–**

राज्य स्तरीय बैठक में सेवान्त लाभ की समीक्षा के क्रम में कुल 29 मामले लम्बित पाए गये। इन लम्बित मामलों में 4 मामलें न्यायालय से संबंधित रहने के कारण लम्बित एवं सामान्य भविष्य निधि की कटौती विविरणी अप्राप्त रहने के कारण कुल 16 मामले लम्बित पाये गये है तथा 3 मामले कागजात अधूरा रहने के कारण लम्बित हैं, यथा, मुख्यालय, मुंगेर एवं सहरसा जिला। जिला कल्याण पदा0, वैशाली एवं अन्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लम्बित भविष्य निधि कटौती विवरणी विशेष दूत के माध्यम से प्राप्त कर जल्द–से–जल्द सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ पहुँचाया जाय।

सम्बधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सेवानिवृत्त कर्मियों के भविष्य निधि लेखा संख्या की मांग की गई ताकि उस लेखा संख्या की एक प्रति वित्त विभाग में सम्पन्न होने वाली सेवान्त लाभ की बैठक में हस्तगत कराया जा सके। शेष बचे हुए सेवांत लाभ का जल्द से जल्द भुगतान करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

3. **विभागीय कार्यवाही :–**

(क) राजपत्रित निगरानी

बैठक में राजपत्रित निगरानी मामले की समीक्षा की गई एवं समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदा0 से संबंधित 10 मामले, प्रखंड कल्याण पदा0 के विरूद्ध 4 मामले लंबित पाये गये एवं 1 मामला ट्रेप केस का लंबित पाया गया। लंबित मामलों में से दो (2) मामले छः माह से ज्यादा अवधि से लंबित रहने के कारण निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

(i) उप निदेशक कल्याण तिरहुत प्रमंडल, मुज्जफरपुर को श्री आनंद कुमार तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही जो कि छः माह से अधिक अवधि से लंबित है, की जाँच प्रकिया शीघ्र पूरी करके समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(ii) उप निदेशक, कल्याण, पटना को श्री दिनेश कुमार पांडेय तत्कालीन तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही, जो कि छः माह से ज्यादा अवधि से लंबित है, की जाँच प्रकिया शीघ्र पूरी करके प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(iii) श्री रमेश चन्द्र प्रसाद, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय को दिनांक 18.01.2016 को निगरानी द्वारा रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़े गये तथा विभाग द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है परंतु उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, मुगेंर से अब तक अप्राप्त रहने के कारण 15 दिनों के अंदर प्रपत्र 'क' भेजने का स्पष्ट निदेश दिया गया।

उपरोक्त के अलावे सभी उप निदेशक कल्याण को विभागीय कार्यवाही सौंपे जाने पर उसे शीघ्र एवं ससमय निष्पादन करने का निदेश भी दिया गया।

(ख) <u>अराजपत्रित निगरानी</u>

डॉ0 कुमार सुनील सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, डॉ0 भीम राव अंबेदकर आवासीय बालिका उच्च विधालय, अरवल जिन्हें दिनांक 31.03.2016 को ट्रेप केस में पकड़ा गया है के विरूद्ध प्रपत्र 'क' भेजने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी,अरवल को निदेश दिया गया।

(i) उप निदेशक, कल्याण, दरभंगा प्रमंडल को श्री जगतेन्द्र नारायण सहायक शिक्षक एवं श्री प्रमोद दास सहायक शिक्षक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया क्योंकि यह मामला छः माह से ज्यादा पुराना हो गया है।

(ii) उप निदेशक कल्याण, गया को श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, लिपिक जिला कल्याण कार्यालय औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही जो 2009 से संचालित है, का शीघ्र निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(iii) उप निदेशक कल्याण, सहरसा को श्री विनोद कुमार, तत्कालीन लिपिक जिला कल्याण कार्यालय पूर्णिया के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त के अलावे अन्य जितने भी अराजपत्रित कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उप निदेशक कल्याण के पास लंबित है, की जाँच प्रकिया पूरी कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को ससमय समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेषक/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ संबंधित प्रषाखा पदाधिकारी, मुख्यालय)

4. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 / एम0जे0सी0 :–

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कुल तीन मामले सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के एवं एक मामले / एम0जे0सी0 के लंबित है।

मुख्यालय स्तर पर CWJC No.-2143/15 रमेश प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार सेवांत लाभ से संबंधित है। सेवांत लाभ में ACP प्रदान करने हेतु विभागीय स्क्रीनींग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गत करने की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

CWJC No.- /15 महेन्द्र दास बनाम बिहार सरकार वाद भी सेवांत लाभ से संबंधित मामला है। ACP प्रदान करने हेतु वादी से संगत वर्षो की गोपनीय चारित्रिक अभयुक्ति की मांग की गई है।

CWJC No.- /16 राजेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद भी सेवांत लाभ का ही मामला है। प्रतिशपथ दायर करने हेतु उपनिदेशक कल्याण पूर्णिया प्रमण्डल को निदेश दिया गया।

MJC No.- 1061/16 श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में बिहार सरकार की सेवा में अनु0 जाति एवं0 अनु0 जनजाति वर्ग के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने से संबंधित मामला है।

निदेश दिया गया लंबित उपरोक्त न्यायालय वाद का शपथ पत्र 10 दिन के अन्दर दायर कर मामले का निष्पादन कराया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

5. छात्रवृत्ति :–

(i) विद्यालय छात्रवृत्तिः– निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर वर्ग 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं के नामांकन एवं अन्य आँकड़ें विभाग को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाय साथ ही विद्यालय छात्रवृत्ति मद में वितरण का कार्य यथाशीघ्र करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाये।

(ii) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्तिः– वर्ष 2014–15 के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संस्थानो का एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन यथाशीघ्र कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6. आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की समीक्षा

(i) इस विभाग की संचालित योजनाओं का कार्यान्यवन भवन निर्माण विभाग एवं अन्य निगमों के द्वारा कराया जाता है। दिनांक–29.04.2016 को भवन निर्माण विभाग एवं अन्य निगमों के द्वारा इस विभाग के लिए कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

विभागीय पत्रांक–3836 दिनांक–28.04.16 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल) के स्तर से संयुक्त रूप से जिला के अन्तर्गत अवस्थित प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन का निरीक्षण, विस्तृत प्रतिवेदन (Detailed report) तथा

अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता से संबंधित प्राथमिकता सूची 15 दिनो के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाये, साथ ही पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन– जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) आवासीय विद्यालयों यथा, मुरौल एवं बोचहा, (मुजफ्फरपुर), बांका, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा, दरभंगा तथा आमस (गया) का संचालन अन्य सरकारी भवन/छात्रावास भवन/किराया के भवन में किया जा रहा है। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इन आवासीय विद्यालयों के लिए कम–से–कम 3 एकड़ भूमि पूर्ण विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जाये ताकि प्राथमिकता के आधार पर आवासीय विद्यालय/छात्रावास भवन के निर्माण का कार्य कराया जा सके।

(अनुपालन– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iii) छात्रावास योजना के लिए कम–से–कम 1 एकड़ आवासन योग्य भूमि की आवश्यकता है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार कम–से–कम 1 एकड़ आवासन योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iv) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों में से अधिकतर भवनों में मरम्मति/जीर्णोद्धार, स्वच्छ रसोईघर, अतिरिक्त शौचालय, स्नानागार, चाहरदिवारी, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति हेतु वायरिंग की आवश्यकता है, जिसके आलोक में निदेश दिया गया कि प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन का निरीक्षण करते हुए परिसर उन्नयन हेतु प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

7. <u>अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अधिनियम–2015 को अधिसूचना का0 आ0 152 (अ) दिनांक–18.01.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है जो दिनांक–26.01.2016 से लागू है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी निम्नांकित निदेश अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें:–

(i) नियमावली–1995 के नियम–17 के आलोक में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक निर्धारित रोस्टर के अनुसार की जाय एवं बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इस समिति की नियमित बैठक के लिए त्रैमासिक रोस्टर निम्नांकित रूप से निर्धारित किया गया है:–

जनवरी – मार्च	15 फरवरी से 28 फरवरी, 2016 के बीच
अप्रैल – जून	15 मई से 31 मई, 2016 के बीच
जुलाई – सितम्बर	16 अगस्त से 30 अगस्त, 2016 के बीच
अक्टूबर – दिसम्बर	15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 के बीच

4. <u>सी0डब्ल्यू0जे0सी0 / एम0जे0सी0</u> :–

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कुल तीन मामले सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के एवं एक मामले / एम0जे0सी0 के लंबित है।

मुख्यालय स्तर पर CWJC No.-2143/15 रमेश प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार सेवांत लाभ से सबंधित है। सेवांत लाभ में ACP प्रदान करने हेतु विभागीय स्क्रीनींग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गत करने की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

CWJC No.- /15 महेन्द्र दास बनाम बिहार सरकार वाद भी सेवांत लाभ से संबंधित मामला है। ACP प्रदान करने हेतु वादी से संगत वर्षो की गोपनीय चारित्रिक अभयुक्ति की मांग की गई है।

CWJC No.- /16 राजेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद भी सेवांत लाभ का ही मामला है। प्रतिशपथ दायर करने हेतु उपनिदेशक कल्याण पूर्णिया प्रमण्डल को निदेश दिया गया।

MJC No.- 1061/16 श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में बिहार सरकार की सेवा में अनु0 जाति एवं0 अनु0 जनजाति वर्ग के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने से संबंधित मामला है।

निदेश दिया गया लंबित उपरोक्त न्यायालय वाद का शपथ पत्र 10 दिन के अन्दर दायर कर मामले का निष्पादन कराया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

5. <u>छात्रवृत्ति</u> :–

(i) विद्यालय छात्रवृत्तिः– निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर वर्ग 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं के नामांकन एवं अन्य आँकड़ें विभाग को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाय साथ ही विद्यालय छात्रवृत्ति मद में वितरण का कार्य यथाशीघ्र करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाये।

(ii) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्तिः– वर्ष 2014–15 के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संस्थानो का एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन यथाशीघ्र कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6. <u>आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की समीक्षा</u>

(i) इस विभाग की संचालित योजनाओं का कार्यान्यवन भवन निर्माण विभाग एवं अन्य निगमों के द्वारा कराया जाता है। दिनांक–29.04.2016 को भवन निर्माण विभाग एवं अन्य निगमों के द्वारा इस विभाग के लिए कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

विभागीय पत्रांक–3836 दिनांक–28.04.16 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल) के स्तर से संयुक्त रूप से जिला के अन्तर्गत अवस्थित प्रत्येक आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवन का निरीक्षण, विस्तृत प्रतिवेदन (Detailed report) तथा

अगर उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना संभव नहीं हो तो ये बैठक अगले कार्य दिवस पर की जाये एवं बैठक की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर विभाग को निश्चित रूप से भेजी जाए।

भोजपुर, औरंगाबाद, अररिया, खगडिया एवं बेगूसराय जिला में इस कैलेण्डर वर्ष में एक भी बैठक आयोजित नही की गई, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। निदेश दिया गया कि "जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति" की बैठक 15 दिनों के अन्दर आयोजित की जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) नियमावली–1995 के नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए जिला स्तर पर एक Awarness Programme का आयोजन किया जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iii) नियमावली–1995 के तहत नियम–11 के आलोक में गवाहों/पीडित/आश्रित को देय दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iv) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2014 के नियम–12(4) के आलोक में अत्याचार के पीडितों को त्वरित गति से राहत राशि एवं पुर्नवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिशिचित किया जाय। साथ ही हत्या के मामले में आश्रित/पीडित को नियमानुसार पेंशन देने की कार्रवाई ससमय की जाए। पेंशन के लाभुको की सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आंवटित की गई राशि का उपयोगित प्रमाण–पत्र एवं लाभुकों की सूची (Hard cpoy एवं Soft copy) उपलब्ध करायी जाय। साथ ही इस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन की मांग की जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(v) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली–2014 के नियम–17 के आलोक में **"अनुमंडल स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सर्तकता और अनुश्रवण समिति"** का गठन किया जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

(vi) विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी)

8. <u>प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना</u>

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिला के 16 प्रखण्डों के अन्तर्गत 225 ग्रामों में संचालित है। विभाग द्वारा वर्ष–2015–16 में कुल ₹12.50 करोड़ मात्र की स्वीकृति आधारभूत संरचना के लिए दी गई है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना तैयार कर योजनाओं का कार्यान्वयन समय–सीमा के अन्दर किया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय। उपनिदेशक कल्याण,

गया प्रमंडल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से प्रत्येक योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी, गया / उपनिदेशक कल्याण, गया प्रमंडल)

9. <u>अनुसूचित जनजाति के लिये योजना:–</u>

(i) वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता योजना एवं वन बन्धु कल्याण योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं का प्रस्ताव शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय । साथ ही वर्ष 2016–17 को ली जाने वाली योजनाओं का विस्तृत डी0पी0आर0 के साथ प्रस्ताव भेजी जाय । संविधान की धारा 275(1) के तहत संबंधित जिला में स्वीकृत आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय एवं सामुदायिक सिंचाई योजना हेतु भूमि संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(ii) समेकित थरूहट विकास अभिकरण के तहत वर्ष 2016–17 में ली जाने वाली योजनाओं का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं प्रभारी पदाधिकारी को संचालित योजनाओं का नियमित निरीक्षण एवं स्थल जांच करने का निदेश दिया गया ।

(iii) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अस्वीकृत दावों का जांच, सत्यापन, स्थानीय जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाये ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संख्या 50 / 2008 में प्रति शपथ पत्र जल्द किया जा सके ।

10. <u>अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना:–</u>

वर्ष 2015–16 में आवंटित राशि की निकासी कई जिलों से नहीं किये जाने का सूचना दी गई। सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राशि नहीं निकासी करने का कारण एवं संबंधित कोषागार से अनिकासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए ।

11. <u>बिहार महादलित विकास मिशन:–</u>

बिहार महादलित विकास मिशन के योजनाओं की समीक्षा से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्न है:–

(i). **सामुदायिक भवन–सह वर्कशेड योजना:–** इस योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को प्रस्तुत किया गया। पाँच न्यूनतम उपलब्धि वाले जिलों से कारण पृच्छा की गई। जमीन की उपलब्धता नही होने की स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी को अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सामुदायिक भवन–सह– वर्कशेड हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। जिन जिलों में विवादित जमीन नहीं होने की वजह से विलम्ब हो रहा है, वहाँ इस संबंध में जिला परियोजना पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी को सचिव द्वारा एक सप्ताह के अन्दर विवाद निपटाने हेतु निर्देश दिया गया। बाँका के जिला कल्याण पदाधिकरी द्वारा बताया गया कि आवंटित राशि की दूसरी किस्त अप्राप्त है। इस संदर्भ में आवश्यक कारवाई करने का निदेश मिशन को दिया गया।

(ii). महादलित शौचालय निर्माण योजनाः– योजना का कार्यान्वयन PHED द्वारा किया जाता है। लाभार्थी अंशदान मिशन द्वारा वहन किया जाता है। योजना की प्रगति से बैठक में पदाधिकारी को अवगत कराया गया। न्यूनतम प्रदर्शन वाले पाँच जिलों की समीक्षा की गई।

सभी जिला परियोजना पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन के साथ UC मिशन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(iii). दशरथ माँझी कौशल विकास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में महादलित युवक/युवतियों को राजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है। जिला के अन्तर्गत योजना का अनुश्रवण जिला कल्याण पदाधिकारी–सह– जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाना है । मिशन द्वारा इस योजना का भौतिक सत्यापन विकास मित्रों के माध्यम से कराने हेतु सभी जिलों को आँकडा सहित पत्र प्रेषित किया गया है। निदेश दिया गया कि पत्र में वर्णित समय सीमा 30/05/2016 के अन्दर सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाय।

(iv). AC/DC Bill:- जिला से अप्राप्त AC/DC Bill की समीक्षा के उपरांत निदेश दिया गया कि सभी जिलों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित AC/DC विपत्र मिशन को अविलम्ब भेजा जाए ताकि इसका समायोजन हो सकें।

(v). अग्रिम भुगतानः– बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिलों को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई है। जिलों से इस संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। निदेश दिया गया है कि इसे शीघ्र मिशन को प्रेषित किया जाए।

(vi). सामाजिक जागरूकता अभियान– मिशन द्वारा शराबबंदी में सहयोग हेतु चलाए जा रहे सामाजिक जागरूकता अभियान के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया एवं विकास मित्रों को प्रदर्शन हेतु दी जाने वाली DVD की दो–दो कॉपी सभी जिला परियोजना पदाधिकारी–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश शीघ्र ही मिशन द्वारा जिलों को प्रेषित किया जाएगा।

12. **ए0सी0/डी0सी0 बिल का प्रतिवेदन :–**

बैठक में उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को लम्बित डी0सी विपत्र की राशि–24.86 करोड़ रूपये के विरूद्ध जमा की गई राशि–24.30 करोड़ रूपये का समायोजन महालेखाकर कार्यालय से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर के जिम्मे लम्बित 2,83,44,000/– रूपये का डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान की लम्बित राशि–11,73,500/– रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–30.05.16 तक जमा कर समायोजिन कराने का निदेश दिया गया।

जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के जिम्मे लम्बित 19,18,64,330/– रूपये के विरूद्ध अब तक व्यय की गयी राशि का डी0सी0 विपत्र एवं 18.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–30.05.16 के पूर्व जमाकर समायोजन करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारीयों को लम्बित डी0सी विपत्र एवं सहायक अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को दिनांक–30.05.16 तक समायोजन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

27.5.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 117 /स.गो.को. पटना, दिनांक– 27/05/2016

प्रतिलिपि:–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक, कल्याण, बिहार/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/सभी सहायक निदेशक (मु0/क0)/उपनिदेशक, कल्याण (मु0)/विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक, कल्याण/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– आईटी मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं इमेल से सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजने हेतु प्रेषित।

27.5.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव